



राजस्व निगरानी :- ५७४० / २०१८/६८  
प्रस्तुति दिनांक:- १६/८/२०१८

समझा: माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर, केस्ट- हन्दीर म०प०

मुनिकापन - ५८३७/२०१८/इपैर भूत्ता

राजेन्द्र गुप्ता

— प्रार्थी/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

कमलाबाई

— प्रत्यर्थी/प्रतिप्रार्थीगण

बावेदनपत्र बन्तर्गत धारा: ३५(३) म०प० मू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

सदर निगरानी प्रकरण में प्रार्थी/निगरानीकर्ता की और से विनम्र प्रार्थना है कि :-

१) यह कि, सदर निगरानी प्रकरण वाज माननीय महोदय के समझा प्राथमिक मुनवायी पर नियत थी।

२) यह कि, प्रार्थी/निगरानीकर्ता के बमिमाणक महोदय अन्य न्यायालयीन प्रकरणों में साइय चलाने के कारण काफी व्यस्त रहे और जब प्रार्थी बमिमाणक ३-०० बजे श्रीमान के न्यायालय में उपस्थित हुए तो यह जात हुआ कि निगरानी बदम पेरवी में सारिज कर दी गयी है।

३) यह कि, प्रार्थी अधिकता के द्वारा जानबूझ कर कोई लापरवाही या त्रुटि नहीं की गयी है, दैरी से उपस्थित होने का वास्तविक तथा सदमाविक कारण रहा है, जो कि जामा यौग्य होकर, निगरानी को वाज के वाज पुनः मुनवायी पर लिया जाना न्याय हित में बावश्यक होगा।

बतः माननीय महोदय से सादर प्रार्थना है कि यह बावेदन स्वीकार कर, वाज दिनांक १६/८/१८ को निगरानी जो बदम पेरवी में सारिज की गयी है, उसको पुनः मुनवायी पर लिये जाने की बुकम्पा होवे तथा किलम्ब से उपस्थित होने की जामा प्रदान होवे, यही विनय है।

हन्दीर, दिनांक:- १६/८/१८

प्रस्तुतकर्ता प्रार्थी/निगरानीकर्ता

*Rajiv Naik*

द्वारा बमिमाणक

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक. दुन. ५८७८/२०१४/इंडो/शूरा

मूल प्रकरण अंलेट के

K

राजेश

विरुद्ध नगाबाबाई

तहसील

जिला उन्नदा

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुबिभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
16-10-18 <i>Redmark</i>	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. के विरुद्ध श्री के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/ रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p>	<p>Nated 16/10/18 Rajiv Nam <i>Rajiv Nam</i></p>

ज्ञानेश्वर श्री राजीव नाइक द्वारा  
उन्हें रेस्टोरेन्ट पर दुना। विचारोंपरंतु  
रेस्टोरेन्ट ऊबेन न्वीकार किया जाना  
मूल प्रकरण क्रमांक R-८२५०/२०१४/इंडो/शूरा को  
दुना: नम्नर पर तिया जाता है। इस प्रकार में  
कोई कार्यवाही शैष नहीं होने से पर  
प्रकरण समाप्त किया जाता है।

*प्रीति देखिय**अध्यक्ष*